

## न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा  
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

मैनुअल नं.75/अपील/2024

23.12.2024

20.05.2025

( GCMS No. 2024 / 243 )

श्री सुधीर प्रानजीवन आ. प्रानजीवन रतनशी कुण्डलिया  
जाति हिन्दू जैन, निवासी प्रवीण मेशन फ्लेट नं.4 कमला नेहरू  
क्रॉसरोड नं. 3 एस.वी.रोड, फायर बिग्रेड के पास, कांदीवली  
वेस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र)

– अपीलान्त

बनाम



1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी) राजस्थान
2. श्री हनुमान बाडी मन्दिर विकास समिति, सीलोर रोड  
एन.एच.52 बून्दी (रजिस्टर्ड नं.COOP / 2023 / बून्दी / 201198)  
द्वारा अध्यक्ष / व्यवस्थापक

– रेस्पोजेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित-

अपीलांत की ओर से श्री कैलाश गुप्ता, एडवोकेट।

रेस्पोजे.सं. 1 की ओर से परोकार सरकार।

रेस्पोजे.सं. 2 की ओर से श्री राजकुमार गौतम, एडवोकेट।

निर्णय

यह अपील अपीलांत ने तहसीलदार बून्दी द्वारा आवेदन पत्र क्रमांक 6238 के संबंध में जारी आदेश दिनांक 13.12.2024 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खोले जाने बाबत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 11.12.2024 को खारीज किया गया है।

जिला कलक्टर, बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 75/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/243 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो.सं. 2 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. दिनांक 01.04.2025 को पेश किया। इसी दिन अपीलांट की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया। बाद सुनवाई उभयपक्ष प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस प्रा.पत्र पर मनन किया। उक्त दस्तावेज राजस्व रिकार्ड की प्रतियां होने से इन पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संलग्न दस्तावेजों को रेकार्ड पर लिया जाता है।

तत्पश्चात उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा सं. 956 रकबा 0.4999 हैक्टेयर, ख.सं. 957 रकबा 0.4460 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.9459 हैक्टेयर वाके ग्राम छत्रपुरा, तहसील व जिला बून्दी में स्थित है। इस भूमि में जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 में निशा देवी पत्नी स्वर्गीय वासवदेव एवं भौमिक भट्ट आ. वासवदेव प्रत्येक हिस्सा 1/8 - 1/8 भूमि पर खातेदार दर्ज है। सहखातेदार श्रीमती निशा देवी द्वारा अपना सम्पूर्ण 1/8 हिस्से की भूमि विक्रय राशि 4,50,000/- रु. में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 07.03.2024 को अपीलांट सुधीर प्रानजीवन को विक्रय कर दिया तथा विक्रय पत्र निष्पादित करके सम्पूर्ण विक्रय राशि प्राप्त कर ली तथा बेचान की गई भूमि पर मौके पर भौतिक कब्जा संभला दिया। इस विक्रय पत्र का पंजीयन पुस्तक सं.1 जिल्द सं.677 में पृष्ठ सं.9 क्रम सं. 202403167101006 पर दिनांक 16.04.2024 को किया गया। अपीलांट ने दिनांक 11.12.2024 को अधीनस्थ न्यायालय को नामान्तरकरण खोले जाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने दिनांक 13.12.2024 को खारीज कर दिया है, जो विधिविरुद्ध होने से निरस्त किया जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान आगे कथन किया कि विक्रय पत्र पंजीयन हेतु उप पंजीयक बून्दी के समक्ष प्रस्तुत करते समय दिनांक 07.03.2024 को रेस्पो.सं. 2 की ओर से कोई व्यक्ति अथवा पदाधिकारी पंजीयन कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये थे तथा विक्रय पत्र के पंजीयन के प्रति कोई आपत्ति अथवा आक्षेप प्रस्तुत नहीं किया था। दिनांक 07.03.2024 को विक्रय पत्र की गई उक्त भूमि पर अतिरिक्त कमी मुद्रांक राशि एवं पंजीयन राशि जमा कराने पर दिनांक 16.04.2024 को पंजीयन किया गया। इस तिथि को भी रेस्पो.सं. 2 की ओर से पंजीयन कार्यालय में कोई आक्षेप विक्रय पत्र बाबत प्रस्तुत नहीं किया गया, किन्तु उप पंजीयक बून्दी ने असल



जिला कलेक्टर, बुन्दी

विक्रय पत्र अपीलांट को दिनांक 16.04.2024 को बाद पंजीयन नहीं लौटाया। कई बार आग्रह करने पर दिनांक 01.05.2024 को अपीलांट को असल विक्रय पत्र लौटाया गया, जिसमें पृष्ठ सं.4 की पुस्त पर रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा-39 का नोट अंकित हुआ पाया गया। इस नोट के बाबत न तो अपीलांट को आक्षेप की प्रति उपलब्ध कराई गई और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। इस प्रकार अपीलांट के सुनवाई के नैसर्गिक अधिकार का हनन हुआ है। इसके संबंध में उप पंजीयक बून्दी द्वारा अपीलांट को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और कहा कि इस नोट से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अपीलांट द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पो.सं.1 तहसीलदार, बून्दी के समक्ष नामान्तरकरण दर्ज करने के लिए आवेदन करने पर उन्होंने उक्त नोट को विलोपित करवाये बिना नामान्तरकरण दर्ज करने से इंकार कर दिया। विक्रय पत्र से संबंधित भूमि के विक्रेता लम्बी अवधि से राजस्व रेकार्ड में ख्रातेदार दर्ज है तथा विक्रय की तिथि को विक्रय की गई भूमि के बाबत किसी भी न्यायालय में कोई विवाद लंबित नहीं है। उप पंजीयक बून्दी द्वारा विक्रय पत्र पर अंकित किये गये नोट दिनांक 16.04.24 से अपीलांट के पक्ष में नामान्तरण दर्ज नहीं किया गया, जो गैर कानूनी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में विक्रय पत्र पर धारा 39 राजस्थान पंजीयन अधिनियम का नोट उप पंजीयक बून्दी द्वारा लगाया हुआ है। जिसके विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी ने दिनांक 05.11.2024 को खारिज कर दी है। यह आदेश नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने के बाबत प्रभावी नहीं है क्योंकि इस नोट से विक्रय पत्र की वैधानिकता पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यदि किसी पक्ष को विक्रय पत्र के प्रति आपत्ति हो तो उसे सक्षम व्यवहार न्यायालय में विक्रय पत्र निरस्त किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत करना चाहिए। अपीलांट वरिष्ठ नागरिक है जिसका सन 2014 में बायपास सर्जरी हो चुका है। अपीलांट मुम्बई (महाराष्ट्र) का निवासी है। अपीलांट को अधिकार प्राप्त है कि अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाकर विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करवाने का आदेश प्राप्त करे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 13.12.2024 निरस्त किये जाने एवं पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 द्वारा बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि श्री हनुमान बाडी मन्दिर विकास समिति जिला बून्दी एक पंजीकृत संस्था है जिसका रजिस्ट्रेशन नं.COOP/2023/बून्दी/201198 है, जो अपील विषयक भूमि पर पुरातन काल से बने हुये बालाजी (मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज) के मन्दिर की सेवा पूजा की व्यवस्था करती रही है तथा अपने कब्जे में स्थित बाग (हनुमान बाडी) की भूमि एवं पुरातन बावडी की देखभाल करती रही है। प्रेमशंकर शर्मा उक्त मूर्ति मन्दिर बालाजी महाराज का वंशानुगत पुजारी है, जो



जिला कलक्टर; बून्दी

उक्त समिति का कार्यकारिणी सदस्य भी है। अपील विषयक भूमि पर उक्त समिति का पुरातन कब्जा होने से उस पर समिति के सदस्यों का हित निहित है। अपील विषयक आराजी बाबत श्री हनुमान बाड़ी मन्दिर विकास समिति की ओर से न्यायालय सहायक जिलाधीश बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.1981 के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी कोर्ट के न्यायालय में अपील संख्या 2024/75 प्रस्तुत की गई थी। जिस पर राजस्व अपील प्राधिकारी कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.2025 के विरुद्ध अपील राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में दायर की हुई है जो वर्तमान में विचारधीन चल रही है।

अभिभाषक रेष्यो.सं. 2 द्वारा बहस के दौरान आगे तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम छत्रपुरा की जमाबंदी संवत् 2026 में भूमि खसरा सं. 683 मंदिर हनुमान का रकबा 3 बीघा 05 बिरवा एवं खसरा सं. 684 हनुमान बाड़ी रकबा 2 बीघा 18 बिरवा कुंज वाटिकायें बिलानाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। तहसीलदार बून्दी को भेजी गई पटवारी हल्का छत्रपुरा एवं आई.एल.आर. की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.04.2024 के अनुसार उक्त भूमि खसरा संख्या 957 में श्री हनुमान जी महाराज का पुरातन मंदिर करीब 500 वर्ष से बना हुआ है, जिसके चारों तरफ पुरातन समय का परकोटा बना हुआ है तथा परकोटे के अन्दर खाना बनाने का बरामदा आदि भी बने हुये है। इसी प्रकार खसरा संख्या 956 में पुरातन बावड़ी, सगसजी महाराज का स्थान, एक बरामदा बना हुआ है तथा कुछ खाली भूमि पडी है व छायादार बड़े वृक्ष लगे हुये है। उक्त धार्मिक स्थल पर आस पास गावों के श्रद्धालु यहां पूजा-अर्चना व भण्डार आदि का आयोजन भी करते है। इस प्रकार उक्त आराजी कृषि भूमि नहीं होकर धार्मिक स्थल की भूमि है। सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 24.04.2024 में उक्त आराजी पर सहखातेदारान का कभी भी कब्जा नहीं होना अंकित है। कब्जा नहीं होने के बावजूद भी श्रीमती निशा देवी ने 1/8 हिस्से की भूमि को अपीलांट को बेच दिया। इस कारण उप पंजीयक बून्दी द्वारा तीसरे पक्ष द्वारा आक्षेप उठाने के कारण रजिस्ट्रेशन रूल्स,1955 की धारा 39 का नोट अंकित कर उक्त विक्रय पत्र को रजिस्टर्ड किया गया, जो कानून सममत है। अपीलांट द्वारा उप पंजीयक बून्दी के उक्त नोट के विरुद्ध अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी के यहा पेश की गई थी, एडीएम साहब बून्दी द्वारा भूमि पर मौके पर थर्ड पार्टी का अधिकार होने से रजिस्ट्री में धारा 39 के नोट का सही मानते हुये अपील दिनांक 05.11.2024 को खारिज कर दी गई। विवाहित विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकण खुलवाये जाने हेतु अपीलांट द्वारा तहसीलदार बून्दी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 39 के नोट के कारण आदेश दिनांक 13.12.2024 से खारीज कर दिया गया, जो न्यायोचित है। अभिभाषक रेष्यो.सं. 2 द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2024 को बहाल रखा जाकर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारीज किये जाने का निवेदन किया गया।



न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि श्री सुधीर प्रानजीवन कुंडलिया आ. प्रानजीवन रतनशी जाति हिन्दू जैन निवासी कांदीवली वेस्ट मुम्बई द्वारा दिनांक 11.12.2024 को एक प्रार्थना पत्र वास्ते पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण खोले जाने बाबत तहसीलदार बून्दी को पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाद जांच दिनांक 13.12.2024 को खारिज कर दिया गया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील दायर की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2026 वाके ग्राम छत्रपुरा में भूमि खसरा सं. 683 मंदिर हनुमान का रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा किस्म रास्ता एवं खसरा सं. 684 हनुमान बाडी रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा किस्म बाग खाते "कुंज वाटिकायें बिलानाम" राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 2024/75 मूर्ति मन्दिर श्री बाला जी महाराज वगै. बनाम राजस्थान सरकार वगै. में पारित निर्णय दिनांक 26.03.2025 के अवलोकन से प्रकट है कि निर्णय के बिन्दू संख्या 9 पर पुराना खसरा नम्बर 683 जिसका खसरा नं.956 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा तथा पुराने खसरा नम्बर 684 जिसका नया खसरा नं. 957 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा जुमला 2 किता की 6 बीघा 03 बिस्वा रकबा कायम होना अंकित है। अपीलांट द्वारा उक्त अपील सहायक जिलाधीश बून्दी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 683 व 684 के बाबत शिवानन्द उर्फ शैलेशकुमार के पक्ष में पारित निर्णय दिनांक 09.06.1981 व डिक्री दिनांक 09.07.1981 के विरुद्ध पेश की गई थी, जो अवधि बाधित होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाकर खारिज की जा चुकी है।

पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी एवं आईएलआर की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.12.24 का अवलोकन किये जाने पर प्रकट है कि उक्त भूमि ख.नं. 957 में श्री हनुमानजी महाराज का पुरातन मंदिर बना हुआ है व ख.नं. 956 में पुरातन बावडी, सगस जी महाराज का स्थान व भण्डारगृह बना हुआ है। आवेदक श्री संजयकुमार पुत्र शिवानन्द उर्फ शैलेशकुमार का सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र तहसीलदार बून्दी द्वारा मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी के आधार पर दिनांक 24.04.25 को खारिज किया जा चुका है, उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं. 957 में श्री हनुमान जी महाराज का पुरातन मन्दिर बना हुआ है जिसके चारों तरफ पुरातन समय का परकोटा बना हुआ है, जिसका वर्तमान में नवीनीकरण कर दिया है व खसरा सं. 956 में पुरातन बावडी, सगसजी का स्थान एवं कुछ भूमि मौके पर खाली पडी हुई है। मुताबिक मौका उपस्थित व्यक्तियों व समिति सदस्यों के अनुसार उक्त स्थान पुरातन समय लगभग 100 वर्षों से भी पुराना है। उपस्थितान अनुसार उक्त खसरा नम्बरान पर उक्त सहखातेदारान कभी काबिज न होना बताया गया है। उक्त मंदिर श्री हनुमान बाडी मन्दिर विकास समिति के नाम से रजिस्ट्रेशन हो रखा है।



पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 16.04.2024 के अवलोकन से प्रकट है कि खातेदार श्रीमती निशादेवी पत्नी वासवदेव जाति ब्राहमण निवासी अहमदाबाद द्वारा अपने आधिपत्य स्वामित्वाधिकार एवं कब्जे काशत की कृषि भूमि संयुक्त खाते में निहित हिस्सा 1/8 श्री सुधीर प्रानजीवन कुंडलीया आ. प्रानजीवन रतनशी कुंडलीया जाति हिन्दू जैन निवासी कांदीवली वेस्ट मुम्बई को बेचान की गई। बेचान की गई आराजी पर बेचानकर्ता खातेदार का कब्जा नहीं होने पर भी बिना भौतिक कब्जा हस्तान्तरण के निष्पादित विक्रय पत्र पर तीसरे पक्ष की आपत्ति पर उप पंजीयक, बून्दी द्वारा राजस्थान पंजीयन नियम,1955 की धारा 39 का नोट अंकित किया गया। यहां उल्लेखनीय है कि राजस्थान पंजीयन नियम,1955 की नियम-39 के तहत रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को समाधान हो जाये कि लिखित में ऐसे तृतीय पक्षकारों के अधिकारों का अतिलंघन किया गया है जो संव्यवहार के पक्षकार नहीं है, तो ऐसी आपत्तियों का टिप्पण करेगा, जो धारा 58 द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन में उसके नोटिस में लाये जायेंगे। जिससे अप्रसन्न होकर क्रेता श्री सुधीर प्रानजीवन द्वारा उप पंजीयक बून्दी के आदेश दिनांक 16.04.2024 के विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं पदेन जिला पंजीयक, बून्दी के समक्ष अपील संख्या 57/2024 प्रस्तुत की गई, उक्त अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी द्वारा निर्णय दिनांक 05.11.2024 से विधि के तहत अपोषनीय होने के कारण खारिज की गई।

अपीलांट द्वारा दिनांक 11.12.2024 को उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी क्रेता के नाम नामान्तरकरण खोला जाने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार बून्दी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत रजिस्ट्री में नोट अंकित होने के कारण तहसीलदार बून्दी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी द्वारा अपील संख्या 57/2024 में धारा 39 के संबंध में दिये गये निर्णय दिनांक 05.11.2024 का परीक्षण किया गया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पाया गया कि न्यायालय एडीएम बून्दी द्वारा अपीलांट की अपील खारिज कर पंजीयन पत्र पर उप पंजीयक बून्दी द्वारा राजस्थान पंजीयन अधिनियम,1955 की धारा 39 के तहत अंकित नोट यथावत रखा गया है। अपीलांट की ओर से न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं पदेन जिला पंजीयक, बून्दी के उक्त निर्णय दिनांक 05.11.24 के विरुद्ध सक्षम स्तर पर अपील पेश की जाकर उक्त निर्णय को चुनौती दी गई हो या महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर के रामक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद जांच पारित आदेश दिनांक 13.12.2024 से प्रार्थी अपीलांट का उक्त आवेदन पत्र खारिज किया गया। विक्रय पत्र में अंकित धारा 39 का नोट हटाये बिना विवादित विक्रय पत्र के आधार पर



जिला कलक्टर; बून्दी

नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र खारीज किये जाने बाबत पारित आदेश दिनांक 13.12.2024 विधिसम्मत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2024 किस प्रकार से विधिक प्रावधानों के विरुद्ध है, अपीलांत की ओर से ऐसा कोई कानूनी साक्ष्य पेश नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 13.12.2024 में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उक्त आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलांत खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 20.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अक्षय गोदारा )  
न्याया वक्ताद्वारा बन्दी

